

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 14.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

वारण्टी

थाना महली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता संतोष कुमार तिवारी पुत्र प्रसिद्धनाथ तिवारी निवासी नगुवा थाना महली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 ने दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुचाया अस्पताल - पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 8688 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध मे सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट मे घटनास्थल पर पहुचकर घायल व्यक्ति को पीआरवी से इलाज हेतु अस्पताल मे पहुचाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति की जान की जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी जितेन्द्र शाह, हो0चा0 शिवदास।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 04 वाहनो से 1200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 14-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 04 वाहनो से 1200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 11 अभियुक्त गिरफ्तार –

1- दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



2 - धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

3 - बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 14-05-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 12 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 31 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।